फैक्स / महत्वपूर्ण

संख्या– 452/1–10–2015–33(34)/2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 18 जून, 2015

विषय: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता दिये जाने के फलस्वरूप आ रहे व्यय–भार का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि ओलावृष्टि से हुई कृषि फसलों को हुई क्षति तथा जन हानि के सापेक्ष प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान तथा अनुग्रह सहायता वितरित किये जाने के लिये शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक रू0 2946.70 करोड़ की धनराशि जनपदों को स्वीकृत की गयी है।

2– शासनादेश संख्या–315/1–11–2015–1(जी)/2015टी0सी0, दिनांक 05.06.2015 द्वारा भारत सरकार के नवीनतम मानकों के अनुसार दी जाने वाली सहायता तथा भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 05.06.2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कृषि निवेश अनुदान तथा अनुग्रह सहायता के मद में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त देयत का विवरण राहत आयुक्त कार्यालय के फैक्स संख्या–0522–2236305, 2238084 तथा ईमेल–relief_commissioner@yahoo.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।